राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4273/2022

बिन्शी मोल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2022
आदेश की दिनांक : 20.10.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नगेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उन्हें सुना गया। संशोधन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए संशोधित अपील अभिलेख पर ली जाती है।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ए. एन. एम. के पद पर महिला चिकित्सालय, सांगानेर, जिला जयपुर में कार्यरत थी। अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) से उपकेन्द्र, रशीली, दूदू, जयपुर–द्वितीय में स्थानांतरण किया गया तथा फिर आदेश दिनांक 22.09.2022 (अनुलग्नक–2) से मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण गृह, जामडोली, जयपुर में स्थानांतरित किया गया। उक्त दोनों आदेश विधि–विरूद्ध एवं नियमानुसार नहीं है। अतः अपास्त फरमाया जावे।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर से उप केन्द्र, रशीली, दूदू, जयपुर में 80 किमी दूर किया गया तथा इसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने एक अन्य आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर से उप केन्द्र, रशीली, दूदू, जयपुर से मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण गृह, जामडोली, जयपुर में करीब 30 किमी दूर किया गया, परन्तु मानसिक विमन्दित महिला एवं बाल कल्याण गृह, जामडोली, जयपुर में एएनएम का पद रिक्त नहीं है।

5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलीर्थी का पति 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग की श्रेणी में आता है (अनुलग्नक–3), उसको अपने दैनिक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता रहती है तथा उसकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी मात्र परिवार में वही सदस्य है। अपीलार्थी स्वयं भी मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर के रोग से ग्रसित है(अनुलग्नक–4), जिसका निरन्तर ईलाज एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है।

6. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) तथा आलोच्य आदेश दिनांक 22.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रखे जाने के आदेश फरमाया जावे।

7. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

8. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

9. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण

के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावें।

10. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य